

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य
आर. एम. एस. एकेडमी
अमरा, चन्दौली

विषय: शैक्षिक भवन हेतु अग्निशमन सुरक्षा संबंधी प्रमाण- पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका प्रार्थनापत्र दिनांकित 07-12-2020.

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रार्थनापत्र के संबंध में पूर्व निर्मित एवं संचालित विद्यालय भवन आर. एम. एस पब्लिक स्कूल मौजा अमरा चन्दौली का अग्निसुरक्षा की दृष्टिसे निरीक्षण किया गया, आख्या निम्नवत् है:-

- 1- विद्यालय भवन भूतल से प्रथम तल तक निर्मित है।
- 2- विद्यालय भवन का कुल प्लाट एरिया 6800 वर्गमीटर है।
- 3- कवर्ड एरिया 3000 वर्गमीटर है।
- 4- विद्यालय भवन की ऊचाई 4 मीटर है।
- 5- भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था भारतीय मानक 2190:1992 के अनुरूप की गयी है, जो निरीक्षण के समय कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पाये गये।
- 6- प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन की जानकारी दी गयी।
- 7- विद्यालय परिसर में ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जायेगा।
- 8- विद्यालय भवन की विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 9- विद्यालय भवन में होजरिल सिस्टम मय टेरेस पम्प की व्यवस्था वॉछनीय है।

अतः इस शर्त के साथ अग्निशमन सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि विहित फीस जमा कराकर अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता का निरीक्षण/परीक्षण कराकर प्रमाण-पत्र नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा। अन्यथा अग्निशमन उपकरणों के अकार्यशील व अनुपलब्धता की दशा में यह प्रमाण- पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(सुभाष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
चन्दौली।